

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एन-637/86)/अलेसे-11/2832 दिनांक :- 27.03.19

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 10817-10887 दिनांक 05.01.2015 के द्वारा श्री निशात अहमद फारुकी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 के दिनांक 29.02.2016 को अधिवार्षिकी सेवा पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति के आदेश जारी किए गए थे। उक्त आदेशों की पालना में श्री फारुकी दिनांक 29.02.2016 को सेवानिवृत्त हो गये। श्री फारुकी के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत लंबित विभागीय जांच के निर्णय दिनांक 08.12.2017 द्वारा जांच प्रकरण समाप्त किये जाने के फलस्वरूप वर्तमान में श्री फारुकी के विरुद्ध निम्नानुसार कोई विभागीय जांच लंबित/प्रस्तावित नहीं है:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत श्री फारुकी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अन्तर्गत श्री फारुकी के विरुद्ध कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. श्री फारुकी के विरुद्ध कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एन-637/86)/अलेसे-11/2832 दिनांक :- 27.3.19

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
2. कोषाधिकारी सीकर।
3. सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में updation करने हेतु।
5. श्री निशात अहमद फारुकी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 वार्ड नं. 50, फतेहपुर रोड, सबलपुरा, पावर हाउस कॉलोनी के सामने, सीकर पिन कोड- 332001
6. रक्षित पत्रावली।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)